न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 72 / 2018

1 नन्दकिशोर उम्र 61 वर्ष पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी ग्राम बादूसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 सुल्तान सिंह उम्र 65 वर्ष पुत्र जीवणराम।
2 श्योजीराम उम्र 49 वर्ष पुत्र जीवणराम समस्त जाति जाट निवासीगण बादूसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 पटवारी हल्का बादूसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व डिक्री एवं निर्णय दिनांक 18.06.18 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर पीठासीन अधिकारी श्री अनिल महला आर.ए.एस. दावा संख्या 168 / 2016 बउनवानी सुल्तान सिंह बनाम नन्दकिशोर आदि दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री देवेन्द्र कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 17.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 168/2016 में पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय में ग्राम बादुसर तहसील लक्ष्मणगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 42/2/2,360/35,159/1 बाबत दावा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित की है। इस निर्णय से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना ही अन्तिम डिक्री पारित कर दी है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद कथन को अस्वीकार कर काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय को विधिक प्रक्रिया अनुसार तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्राथमिक डिक्री जारी करनी चाहिए थी। इसके विपरित विचारण न्यायालय में तनकी कायम किये बिना, साक्ष्य लिये बिना, प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर विचाराधीन अन्तिम डिक्री पारित कर दी है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के सन्दर्भ में नियम 18 से 21 की पालना भी नही की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2003(1) पेज 431, आर.एल.डब्ल्यू 2002 पेज 479, आर.आर.टी. 2009–10 पेज 485, आर.आर.टी. 2005(2) पेज 1126, आर.आर.टी. 2014(2)

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पेज 1157 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पक्षकारों में हिस्से को लेकर कोई विवाद नही है विभाजन का दावा था। विचारण न्यायालय में तनकी नही बनाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये है। इस आदेश को अपीलांट ने चुनौति नही दी है। इसे अपीलांट की सहमती माना जायेगा। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना ही अन्तिम डिक्री पारित कर दी है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद कथन को अस्वीकार कर काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय को विधिक प्रकिया अनुसार तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्राथमिक डिक्री जारी करनी चाहिए थी। इसके विपरित विचारण न्यायालय में तनकी कायम किये बिना, साक्ष्य लिये बिना, प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर विचाराधीन अन्तिम डिक्री पारित कर दी है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के सन्दर्भ में नियम 18 से 21 की पालना भी नही की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष के कथनों के आधार पर तनकीयात कायम कर दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का समुचिम अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.03.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रणवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर